

संख्या-179/एक-10-2023-33(46)/2018

प्रेषक,

प्रभु एन 0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ 0 प्र 0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 10/02/2023

विषय उ 0 प्र 0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में रूपये 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-970/ रा 0 आ 0 प्र 0 प्रा/2022-23, दिनांक 03.02.2023 के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में रू 0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ 0 प्र 0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू 0 में)

क्रम सं०	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	अवशेष धनराशि
1	सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) 2245-80-800-06-00-31	231.08	115.54	10.00	105.54
	-योग	231.08	115.54	10.00	105.54

(रूपये दस लाख मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (3) उक्त अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं० 42 आई में शासन को उपलब्ध कराते हुये अगली किश्त की मांग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245808000600 उत्तर प्रदेश आपदा प्रवन्ध प्राधिकरण मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-13/2022/वी-1454/दस-2022-23/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधासनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by प्रमु नारायण सिंह

(प्रमु नारायण सिंह) 23 14:50:45
Reसचिवीapproved

संख्या-179 (1)/एक-10-2023-33(46)/2018, तद्विनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (प्रथम)/आडिट प्रथम, उ० प्र०, प्रयागराज।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ० प्र०।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, वजट आवंटन (ई-वजट), राजस्व विभाग, उ० प्र० शामन।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-13/02/2023

प्रेषण संख्या:- 179
आवंटन आदेश संख्या:- 001-179
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	1000000 12554000	1000000 12554000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1000000 12554000	1000000 12554000

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):- रूपया दस लाख
महायोग- (प्रगामी
आवंटन):- रूपया एक करोड़ पच्चीस लाख चौवन हजार


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।